संख्या 25/ 2015/1358 / सत्रह-म- 2015 11-1- म (6)/2006

प्रेषक

चन्द्रकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 16 अक्टूबर 2015

विषय 647 मछुआ आवासों में सोलर लाइट एवं फैन हेतु वित्तीय वर्ष 2015- 16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त धनराशि को निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय

उपरोक्त विषय आपके पत्र संख्या 378 / नि0शा0/ 16-22(9)/ वि0स्वी0- 3 दिनांक 20- 08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत पक्ष् के अन्तर्गत वर्ष 2014 -15 भारत सरकार से स्वीकृत 647 मछुआ आवासों में सोलर लाइट एवं फैन की स्थापना हेतु प्रति मछुआ आवास रू0 30000 की दर से वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 194.10 लाख (रू0 एक करोड चौरान्बे लाख दस हजार मात्र) का प्राविधान कराया गया है। अत: 647 मछुआ आवासो में सोलर लाइट एवं फैन हेतु प्रति मछुआ आवास रू0 30000 की दर से कुल धनराशि रू0 194.10 लाख (रू0 एक करोड चौरान्बे लाख दस हजार मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय संलग्न तालिका के अनुसार कतिपय शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है:-

1. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तगर्त राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।
2. शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय - समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

2. उपरोक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या –17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन –आयोजनागत- 800- अन्य व्यय -02- नेशनल स्कीम आफ वेलफेयर ऑफ फिशरमैन -0203–मछुआ आवासों में सोलर लाइट एवं फैन की व्यवस्था –27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2015 /बी0-1-925/दस -2015 -231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक –यथोक्त।

भवदीय

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 25 /2015/ 1358 (1)/सत्रह-म-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5 - वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ नियोजन अनु0-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लाल धीरेन्द्र राव)
अनु सचिव

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:25 /2015/1358 /सत्रह –म-2015 ।।-। अ (6)/2006 दिनांक16 अक्टूबर 2015 का संलग्नक

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0स0	जनपद का नाम	कुल आवास	केन्द्राश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	10	0	3.00	3.00
2	फिरोजाबाद	10	0	3.00	3.00
3	मैनपुरी	10	0	3.00	3.00
	आगरा मण्डल	30	0	9.00	9.00
4	हाथरस	10	0	3.00	3.00
5	एटा	10	0	3.00	3.00
6	कासगंज	10	0	3.00	3.00
	अलीगढ मण्डल	30	0	9.00	9.00
7	आजमगढ	10	0	3.00	3.00
8	मऊ	10	0	3.00	3.00
9	बलिया	10	0	3.00	3.00
	आजमगढ मण्डल	30	0	9.00	9.00
10	इलाहाबाद	10	0	3.00	3.00
11	कौशाम्बी	10	0	3.00	3.00
12	फतेहपुर	10	0	3.00	3.00
13	प्रतापगढ	10	0	3.00	3.00
	इलाहाबाद मण्डल	40	0	12.00	12.00
14	कानपुर देहात	10	0	3.00	3.00
15	इटावा	10	0	3.00	3.00
16	औरैया	10	0	3.00	3.00
17	फर्रूखाबाद	10	0	3.00	3.00
18	कन्नौज	10	0	3.00	3.00
	कानपुर मण्डल	50	0	15.00	15.00
19	गोरखपुर	10	0	3.00	3.00
20	महाराजगंज	10	0	3.00	3.00
21	कुशीनगर	10	0	3.00	3.00
	गोरखपुर मण्डल	30	0	9.00	9.00
22	हमीरपुर	10	0	3.00	3.00
23	महोबा	10	0	3.00	3.00
	चित्रकूट मण्डल	20	0	6.00	6.00
24	झांसी	10	0	3.00	3.00
25	जालौन	10	0	3.00	3.00
26	ललितपुर	10	0	3.00	3.00
	झांसी मण्डल	30	0	9.00	9.00

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	गोण्डा	10	0	3.00	3.00
28	बलरामपुर	10	0	3.00	3.00
29	बहराइच	10	0	3.00	3.00
30	श्रावस्ती	10	0	3.00	3.00
	देवीपाटन मण्डल	40	0	12.00	12.00
31	फैजाबाद	10	0	3.00	3.00
32	अम्बेडकरनगर	10	0	3.00	3.00
33	सुल्तानपुर	10	0	3.00	3.00
34	अमेठी	10	0	3.00	3.00
	फैजाबाद मण्डल	40	0	12.00	12.00
35	बरेली	10	0	3.00	3.00
36	बदायूँ	10	0	3.00	3.00
37	शाहजहॉपुर	10	0	3.00	3.00
38	पीलीभीत	10	0	3.00	3.00
	बरेली मण्डल	40	0	12.00	12.00
39	बस्ती	10	0	3.00	3.00
40	संतकबीरनगर	10	0	3.00	3.00
41	सिद्वार्थ नगर	10	0	3.00	3.00
	बस्ती मण्डल	30	0	9.00	9.00
42	मेरठ	10	0	3.00	3.00
43	बागपत	10	0	3.00	3.00
44	बुलन्दशहर	10	0	3.00	3.00
	मेरठ मण्डल	30	0	9.00	9.00
45	मुरादाबाद	10	0	3.00	3.00
46	सम्भल	17	0	5.10	5.10
47	रामपुर	10	0	3.00	3.00
48	बिजनौर	10	0	3.00	3.00
49	अमरोहा	10	0	3.00	3.00
	मुरादाबाद मण्डल	57	0	17.10	17.10
50	उन्नाव	10	0	3.00	3.00
51	रायबरेली	10	0	3.00	3.00
52	सीतापुर	10	0	3.00	3.00
53	हरदोई	10	0	3.00	3.00
54	लखीमपुर खीरी	10	0	3.00	3.00
	लखनऊ मण्डल	50	0	15.00	15.00
55	वाराणसी	10	0	3.00	3.00
56	चन्दौली	10	0	3.00	3.00
57	गाजीपुर	10	0	3.00	3.00
58	जौनपुर	10	0	3.00	3.00
	वाराणसी मण्डल	40	0	12.00	12.00

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

59	मिर्जापुर	10	0	3.00	3.00
60	सोनभद्र	10	0	3.00	3.00
61	संतरविदासनगर	10	0	3.00	3.00
	विन्ध्याचल मण्डल	30	0	9.00	9.00
62	सहारनपुर	10	0	3.00	3.00
63	मुजफफरनगर	10	0	3.00	3.00
64	शामली	10	0	3.00	3.00
	सहारनपुर मण्डल	30	0	9.00	9.00
	प्रदेश योग	647	0	194.10	194.10

(रू0 एक करोड चौरान्बे लाख् दस हजार मात्र)

(चन्द्रकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।